मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06/08/2021

क्रमांकः **एफ** 5-1/2019 /अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया कि -:

1. भारत शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये निर्धारित की गई नवीन निवेश और कारोबार की सीमा को सम्पूर्ण प्रदेश की एमएसएमई के लिये राज्य शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों/संस्थाओं/उपक्रमों के समस्त प्रयोजनों हेतु विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुपालन में जारी अधिसूचना दिनांक से ग्राह्य किया जाता है।
2. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 तथा नीति अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विर्निमाण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वत करने के लिये मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 संलग्न **परिशिष्ट** अनुसार जारी की जाती है।
3. यंत्र एवं संयंत्र में रूपये 10 करोड़ से 50 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली ऐसी स्थापित इकाईयां जिन्हें उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित, 2020) तथा इस नीति अंतर्गत सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वत करने के लिये लागू मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (संशोधन सहित) अंतर्गत राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक पात्रता अनुसार सुविधायें स्वीकृत की जा चुकी हो उन्हें पूर्वानुसार निर्धारित समयावधि हेतु सुविधाओं का लाभ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

4. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना दिनांक से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों का निर्धारित वर्गीकरण एमएसएमई के नवीन वर्गीकरण की सीमा तक संशोधित होगा।

संलग्नः-मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 तथा मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विवेक पोरवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-1/2019/अ-तेहत्तर भोपाल दिनांक 06/08/2021

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधि विभाग/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग /वित्त विभाग
2. शासन के समस्त विभाग
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
(एमएसएमई कक्ष)

क्रमांक 83/एमएसएमई/(13)/2020/ 2026-2087 भोपाल, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, (समस्त) म.प्र.
2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, (समस्त) म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक संचालक उद्योग,
उद्योग संचालनालय, म.प्र.